प्रकरण संख्या 47 / 2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अनवान राजू उर्फ रजीनाम वगैरा बनाम मनफुल वगैरा	नम्बर व तारीख इहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.3.25	वकील उभय पक्ष उप.। बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन व बहस पर मनन किया अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के कथनो को दौराते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा को ताफैसला दावा कन्फर्म करने का निवेदन किया। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दौराते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा खारीज करने का निवेदन किया। अस्थाई निषेधाज्ञा के बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा सन्तुलन अपूर्णीयक्षति पर विचरण किया गया। उभय पक्ष की बहस व पत्रावाली के अवलोकन से उक्त बिन्दु उभय के पक्ष में तय किये जाते है। चूंकि भूमि प्रार्थी / अप्रार्थी के दारा / पड़दादा के नाम ही दर्ज रिकार्ड है। दावा घोषणा का है। अतः प्रार्थना पत्र आंशिकं स्वीकार किया जाकर दिनांक 28.07.2020 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा संशोधित कर ताफैसला कन्फर्म किया जाता है कि प्रार्थी / अप्रार्थीगण हिस्सा विशेष भूमि का बैचान न करे न ही सुधार के अतिरिक्त निर्माण करें। यदि प्रार्थी / अप्रार्थीगण विरास्तन नामान्तरकरण दर्ज करवाते है अपने हक हिस्सा की भूमि पर बैक ऋण लेते है तो उस पर उक्त निषेधाज्ञा लागु नही होगी। प्रार्थना पत्र 212 मूल वाद के साथ संलग्न रहे।	